वित्त निर्देश 23/2018

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्र. 203/एफ 2018-04-04168/वि/नि/चार, नया रायपुर, दिनांक 19 अप्रैल, 2018

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषयः-नवीन अंशदायी पेंशन योजना के सदस्यों के मृत्यु/अपंगता पर अतिरिक्त हितलाभ

संदर्भः-1.वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 201/सी-25568/वित्त/नियम/चार/09, दिनांक 28.07.2009

2.वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 389/एफ 2016-04-03289/वि/नि/चार, दिनांक 05.09.2017

वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापन दिनांक 05.09.2017 द्वारा मृत्यु अथवा असमर्थता/निःशक्तता के प्रकरणों में निर्णय लेते हुए पूर्व में संदर्भित ज्ञापन दिनांक 28.7.2009 द्वारा अंतरिम व्यवस्था के रूप में स्वीकृत छ.ग. सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के अनुसार अनंतिम सामान्य परिवार पेंशन को समाप्त कर PRAN में जमा राशि का समायोजन एवं भुगतान हेतु संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ को अधिकृत किया गया है। उक्त समायोजन हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती हैः-

अ. नवीन अंशदायी पेंशन योजना के सदस्यों के मृत्यु/अपंगता पर अतिरिक्त हितलाभ रोके जाने हेतु प्रक्रियाः-

1. पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी पेंशन बंद करने हेतु अनंतिम पेंशन रोकने का आदेश जारी करेंगे।
2. आहरण एवं संवितरण अधिकारी पेंशन भुगतान रोकने हेतु आदेश के साथ प्रकरणों की सूची संबंधित के PRAN में जमा राशि एवं भुगतान हो चुके पेंशन राशि का समायोजन हेतु सहमति पत्र एनेक्जर-1 एवं आवश्यक दस्तावेज जिला कोषालय अधिकारी को अग्रेषित करेंगे।
3. जिला कोषालय अधिकारी आहरण एवं संवितरण अधिकारी से प्राप्त दस्तावेजो के आधार पर बैंकों को भुगतान रोकने की कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित करेंगे।
4. पेंशन भुगतान बंद होने के पश्चात आहरण एवं संवितरण अधिकारी बैंक से कुल भुगतान किये गये पेंशन की राशि का विवरण प्राप्त कर तथा संबंधित के सीपीएस खाते PRAN में जमा राशि के विवरण के साथ समायोजन व भुगतान हेतु संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन को भेजेंगे।

5. संभागीय संयुक्त संचालक PRAN में जमा संपूर्ण राशि के नोडल बैंक खाते में वापसी हेतु ERM(3) माड्यूल तहत ऑनलाइन अनुरोध करेंगे एवं ऑनलाइन अनुरोध को अधिकृत करने हेतु समस्त जानकारी के साथ संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन को भेजेंगे। PRAN में जमा राशि के वापसी पश्चात् संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन भुगतान किये गये पेंशन राशि से PRAN में जमा राशि का मिलान करेंगे तथा (i) यदि भुगतान की गई पेंशन राशि उनके PRAN में जमा राशि से अधिक हो तो आधिक्य की राशि को अपलेखित माना जायेगा एवं PRAN में जमा पूर्ण राशि को संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन द्वारा शासन के प्राप्ति शीर्ष में जमा किया जावेगा। (ii) यदि भुगतान की गई पेंशन राशि उनके PRAN में जमा राशि से कम हो तो भुगतान की गई पेंशन राशि के तुल्य राशि शासन के प्राप्ति शीर्ष में संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन द्वारा जमा किया जावेगा तथा समायोजन के पश्चात् शेष राशि का भुगतान एनेक्जर–1 में दिये गये विवरण अनुसार संबंधित को किया जावेगा।

ब. असाधारण परिवार पेंशन के मामले में PRAN मे जमा पूर्ण राशि का समर्पणः–

(1) जिन प्रकरणों में परिवार पेंशन स्वीकृत हो चुका है–

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 389/एफ 2016–04–03289/वि/नि/चार, दिनांक 05.09.2017 के कंडिका –4 अनुसार अंतरिम पेंशन बंद करने का प्रावधान छत्तीसगढ़ सिविल सेवा असाधारण पेंशन नियम 1963 एवं छत्तीसगढ़ पुलिस कर्मचारी वर्ग असाधारण पेंशन नियम 1965 के अंतर्गत स्वीकृत परिवार पेंशनरों पर लागू नहीं होगी। जिन्हें इन नियमों के तहत् लाभ प्राप्त हो रहा है उन्हें अंशदायी पेंशन योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की सुविधा नहीं होगी।

1. उक्त प्रकरणों में संबंधित द्वारा PRAN में जमा पूर्ण राशि का अनिवार्यतः समर्पण किया जावेगा। इस हेतु संबंधित द्वारा PRAN में जमा राशि के समर्पण करने सहमति पत्र एनेक्जर–2 में संबंधित कार्यालय के माध्यम से जिला कोषालय अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।
2. जिला कोषालय अधिकारी एनेक्जर–2 का आवश्यक परीक्षण उपरांत संभागीय संयुक्त संचालक, कोष ,लेखा एवं पेंशन को भेजेंगे। संभागीय संयुक्त संचालक PRAN में जमा राशि का नोडल बैंक खाते में वापसी हेतु ERM(3) माड्यूल तहत ऑनलाइन अनुरोध करेंगे एवं ऑनलाइन अनुरोध को अधिकृत करने हेतु समस्त जानकारी के साथ संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन को भेजेंगे।
3. संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन PRAN में जमा राशि के वापसी हेतु ऑनलाइन अनुरोध को अधिकृत करेंगे। PRAN में जमा राशि के वापसी पश्चात् शासन के प्राप्ति शीर्ष में जमा किया जावे।

(2) जिन प्रकरणों में परिवार पेंशन स्वीकृत किया जावेगा–

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 389/एफ 2016–04–03289/वि/नि/चार, दिनांक 05.09.2017 के कंडिका –4 अनुसार छत्तीसगढ़ सिविल सेवा असाधारण पेंशन नियम 1963 एवं छत्तीसगढ़ पुलिस कर्मचारी वर्ग असाधारण पेंशन नियम 1965 के अंतर्गत

भविष्य में जब परिवार पेंशन स्वीकृत किया जावेगा, उन्हें अंशदायी पेंशन योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की सुविधा स्वयंमेव समाप्त हो जावेगी।

1. उक्त प्रकरणों में संबंधित द्वारा PRAN में जमा पूर्ण राशि का अनिवार्यतः समर्पण किया जावेगा। इस हेतु संबंधित द्वारा पेंशन प्रपत्र के साथ **PRAN** में जमा राशि के समर्पण करने हेतु सहमति पत्र एनेक्जर–3 संबंधित कार्यालय के माध्यम से जिला कोषालय अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।
2. जिला कोषालय अधिकारी एनेक्जर–3 का आवश्यक परीक्षण उपरांत पेंशन प्रपत्र के साथ संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन को भेजेंगे। संभागीय संयुक्त संचालक PRAN में जमा राशि का नोडल बैंक खाते में वापसी हेतु ERM(3) माड्यूल तहत ऑनलाइन अनुरोध करेंगे एवं ऑनलाइन अनुरोध को अधिकृत करने हेतु समस्त जानकारी के साथ संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन को भेजेंगे।
3. संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन PRAN में जमा राशि के वापसी हेतु ऑनलाइन अनुरोध को अधिकृत करेंगे। **PRAN** में जमा राशि के वापसी पश्चात् शासन को प्राप्ति शीर्ष में जमा किया जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.के. चक्रवर्ती) 19/04/2018
संयुक्त सचिव

पृ.क्र. 204/एफ 2018–04–04168/वि/नि/चार नया रायपुर, दिनांक 19 अप्रैल, 2018

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल / महाधिवक्ता / उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री (समस्त), छत्तीसगढ़, नया रायपुर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर
9. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, नया रायपुर
10. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
11. राज्य सूचना आयुक्त, शास्त्री चौक, रायपुर
12. समस्त अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, नया रायपुर
13. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नया रायपुर
14. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर
15. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
16. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/इन्द्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
17. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
18. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर

– को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु

19. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट WWW.cgfinance.nic.in पर अपलोड करने हेतु

(अतुल कुलश्रेष्ठ)
शोध अधिकारी

Annexure-1

वित्त निर्देश 40/2017 दिनांक 05.09.2017 तहत छत्तीसगढ़ सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 अंतर्गत जारी नवीन अंशदायी पेंशन योजना के सदस्यों के मृत्यु/अपंगता के प्रकरणों पर स्वीकृत परिवार पेंशन समाप्त किया गया है । उन प्रकरणों में शासकीय सेवक के PRAN खाते में जमा राशि के वापसी हेतु दावा ।

भाग–ए नामांकित के आवेदन

To,
ASSTT. VICE PRESIDENT,
CENTRAL RECORDKEEPING AGENCY,
NSDL 4TH FLOOR, 'A' WING, TRADE WORLD,
KAMALA MILLS COMPOUND,
SENAPATI BAPAT MARG, LOWER PAREL (W),
MUMBAI-400013

विषयः– छ.ग. सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 अंतर्गत जारी परिवार पेंशन के समाप्ति के प्रकरणों में एन.पी. एस. खाते में जमा राशि का आहरण ।

महोदय/महोदया,

मैं यह सूचित करना चाहूंगा/चाहूंगी कि श्री/श्रीमती/कु. .... (शासकीय सेवक का नाम) का/की .... (शासकीय सेवक से संबंध) हूँ । मुझे छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग मंत्रालय रायपुर के परिपत्र कमांक 201/सी–25568/वित्त/नियम/चार/09 दिनांक 28.07.2009 (वित्त निर्देश 20/2009) एवं परिपत्र कमांक 389/एफ 2016–04–03289/वि/नि/चार दिनांक 05.09.2017 (वित्त निर्देश 40/2017) के तहत स्वीकृत परिवार पेंशन समाप्त किया गया है।

मैं श्री/श्रीमती/कु. .... के एन.पी.एस. खाते में जमा राशि को वापस लेने और संचालक, संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन इंद्रावती भवन, नया रायपुर के बैंक खाते में जमा करने का अनुरोध करता/करती हूँ । संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन द्वारा **(i) भुगतान की गई पेंशन राशि PRAN में जमा राशि से अधिक हो तो आधिक्य की राशि को अपलेखित किया जावे एवं PRAN में जमा संपूर्ण राशि को** शासन के प्राप्ति शीर्ष में जमा किया जावे। **(ii) भुगतान की गई पेंशन राशि PRAN में जमा राशि से कम हो तो भुगतान की गई पेंशन राशि के तुल्य राशि** शासन के प्राप्ति शीर्ष में जमा किया जावे तथा समायोजन के पश्चात् **शेष राशि का भुगतान मेरे बैंक खातें में–** .... **IFSC Code** .... **MICR Code** .... **जमा किया जावे ।**

PRAN No. ....
*सी.आर.ए. सिस्टम में प्रविष्टि किये जाने हेतु निम्न अन्य सभी विवरण –
जन्म तिथि ....
PAO ....
DTO ....
DDO .... जिसके अंर्तगत अभिदाता है।

घोषणा

मैं ....श्री/श्रीमती/कु. .... (शासकीय सेवक का नाम) का/की ....(शासकीय सेवक से संबंध) हूँ । घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे विवेक एवं विश्वास अनुसार सत्य है।

गवाह के हस्ताक्षर	**दावेदार के हस्ताक्षर**
नाम	**दावेदार का नाम** ....
पता	**दिनांक** ....
दिनांक	**स्थान** ....

टीपः– 1. शासन से जारी पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.) की छायाप्रति।

भाग–बी आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण

यह प्रमाणित किया जाता हैं कि श्री/श्रीमती/कु.. (दावेदार का नाम) श्री/श्रीमती/कु. ....(शासकीय सेवक का नाम) PRAN नंबर .... का/की ....(शासकीय सेवक से संबंध) है को छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग मंत्रालय रायपुर के परिपत्र कमांक 201/सी–25568/वित्त/नियम/चार/09 दिनांक 28.07.2009 (वित्त निर्देश 20/2009) एवं परिपत्र कमांक 389/एफ 2016–04–03289/वि/नि/चार दिनांक 05.09.2017 (वित्त निर्देश 40/2017) के तहत परिवार पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। यह कार्यालय संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन को अभिदाता के PRAN में जमा राशि को वापस लेने एवं संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, इंद्रावती भवन, नया रायपुर के बैंक खाते में जमा करने का अनुरोध करते हैं ।

अस्वीकरणः– हमे ज्ञात है कि उक्त अंशदान राशि एन.पी.एस. में निवेश किया गया था और NAV मूल्य परिवर्तन के आधार पर एन.पी.एस. में निवेश किए गए कुल अंशदान राशि से अधिक या कम हो सकता है। यह संचालक, संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन, कोष लेखा एवं पेंशन, इंद्रावती भवन, नया रायपुर के बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाएगा । संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन द्वारा **(i) भुगतान की गई पेंशन राशि PRAN में जमा राशि से अधिक हो तो आधिक्य की राशि को अपलेखित किया जावे एवं PRAN में जमा संपूर्ण राशि को** शासन के प्राप्ति शीर्ष में जमा किया जावे। **(ii) भुगतान की गई पेंशन राशि PRAN में जमा राशि से कम हो तो भुगतान की गई पेंशन राशि के तुल्य राशि** शासन के प्राप्ति शीर्ष में जमा किया जावे तथा समायोजन के पश्चात् **शेष राशि का भुगतान मेरे बैंक खातें में–** .... IFSC Code .... MICR Code .... **जमा किया जावे ।**

(Signature of DDO)

DDO Name

DDO Registration No.

Date -

Place -

Annexure-2

वित्त निर्देश 20/2009 दिनांक 28.07.2009 एवं वित्त निर्देश 40/2017 दिनांक 05.09.2017 तहत छत्तीसगढ़ सिविल सेवा असाधारण पेंशन नियम 1963 एवं 1965 अंतर्गत जारी नवीन अंशदायी पेंशन योजना के सदस्यों के मृत्यु/अपंगता के प्रकरणों पर अतिरिक्त हितलाभ दिया जा रहा है । उन प्रकरणों में शासकीय सेवक के PRAN खाते में जमा संपूर्ण राशि के समर्पण हेतु आवेदन ।

भाग–ए नामांकित के आवेदन

To,

ASSTT. VICE PRESIDENT,
CENTRAL RECORDKEEPING AGENCY,
NSDL 4TH FLOOR, 'A' WING, TRADE WORLD,
KAMALA MILLS COMPOUND,
SENAPATI BAPAT MARG, LOWER PAREL (W),
MUMBAI-400013

विषयः– छ.ग. सिविल सेवा असाधारण पेंशन नियम 1963 एवं असाधारण पेंशन नियम 1965 अंतर्गत जारी परिवार पेंशन के प्रकरणों में एन.पी.एस. खाते में जमा राशि का आहरण ।

महोदय/महोदया,

मैं यह सूचित करना चाहूंगा/चाहूंगी कि श्री/श्रीमती/कु. .... (शासकीय सेवक का नाम) का/की .... (शासकीय सेवक से संबंध) हूँ । मुझे छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग मंत्रालय रायपुर के परिपत्र कमांक 201/सी–25568/वित्त/नियम/चार/09 दिनांक 28.07.2009 (वित्त निर्देश 20/2009) एवं परिपत्र क्रमांक 389/एफ 2016–04–03289/वि/नि/चार दिनांक 05.09.2017 (वित्त निर्देश 40/2017) के तहत **परिवार पेंशन का भुगतान किया जा रहा है।**

मैं श्री/श्रीमती/कु. .... के एन.पी.एस. खाते में जमा संपूर्ण राशि (अभिदाता एवं शासन अंशदान तथा उपार्जित लाभ) को वापस लेने और संचालक, संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन इंद्रावती भवन, नया रायपुर के बैंक खाते में जमा करने का अनुरोध करता हूँ । संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन द्वारा PRAN में जमा संपूर्ण राशि (अभिदाता एवं शासन अंशदान तथा उपार्जित लाभ) शासन के प्राप्ति शीर्ष में जमा किया जावे ।

PRAN No. ....

*सी.आर.ए. सिस्टम में प्रविष्टि किये जाने हेतु निम्न अन्य सभी विवरण –

जन्म तिथि ....

PAO ....

DTO ....

DDO .... जिसके अंर्तगत अभिदाता है।

घोषणा

मैं ....श्री/श्रीमती/कु. ....
(शासकीय सेवक का नाम) का/की .... (शासकीय सेवक से संबंध) हूँ । घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे विवेक एवं विश्वास अनुसार सत्य है।

गवाह के हस्ताक्षर **दावेदार के हस्ताक्षर**

नाम .... **दावेदार का नाम** ....

पता .... **दिनांक** ....

दिनांक .... **स्थान** ....

टीपः— 1. शासन से जारी पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.) की छायाप्रति।

भाग–बी आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण

यह प्रमाणित किया जाता हैं कि श्री/श्रीमती/कु.. (दावेदार का नाम) श्री/श्रीमती/कु. ....(शासकीय सेवक का नाम) PRAN नंबर .... का/की ....(शासकीय सेवक से संबंध) है को छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग मंत्रालय रायपुर के परिपत्र क्रमांक 201/सी–25568/वित्त/नियम/चार/09 दिनांक 28.07.2009 (वित्त निर्देश 20/2009) एवं परिपत्र क्रमांक 389/एफ 2016–04–03289/वि/नि/चार दिनांक 05.09.2017 (वित्त निर्देश 40/2017) के तहत परिवार पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। यह कार्यालय संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन को अभिदाता के PRAN में जमा राशि को वापस लेने एवं संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, इंद्रावती भवन, नया रायपुर के बैंक खाते में जमा करने का अनुरोध करते हैं ।

अस्वीकरणः– हमे ज्ञात है कि उक्त अंशदान राशि एन.पी.एस. में निवेश किया गया था और NAV मूल्य परिवर्तन के आधार पर एन.पी.एस. में निवेश किए गए कुल अंशदान राशि से अधिक या कम हो सकता है। PRAN में जमा संपूर्ण राशि (अभिदाता एवं शासन अंशदान तथा उपार्जित लाभ) संचालक, संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन, इंद्रावती भवन, नया रायपुर के बैंक खाते में स्थानांतरित किया जावेगा । संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन द्वारा PRAN में जमा संपूर्ण राशि (अभिदाता एवं शासन अंशदान तथा उपार्जित लाभ) शासन के प्राप्ति शीर्ष में जमा किया जावे ।

(Signature of DDO)

DDO Name

DDO Registration No.

Date -

Place -

Annexure-3

वित्त निर्देश 20/2009 दिनांक 28.07.2009 एवं वित्त निर्देश 40/2017 दिनांक 05.09.2017 तहत छत्तीसगढ़ सिविल सेवा असाधारण पेंशन नियम 1963 एवं 1965 अंतर्गत जारी नवीन अंशदायी पेंशन योजना सदस्यों के मृत्यु/अपंगता के प्रकरणों पर अतिरिक्त हितलाभ दिया जावेगा । उन प्रकरणों में शासकीय सेवक के PRAN खाते में जमा संपूर्ण राशि के समर्पण हेतु आवेदन ।

भाग–ए नामांकित के आवेदन

To,
ASSTT. VICE PRESIDENT,
CENTRAL RECORDKEEPING AGENCY,
NSDL 4TH FLOOR, 'A' WING, TRADE WORLD,
KAMALA MILLS COMPOUND,
SENAPATI BAPAT MARG, LOWER PAREL (W),
MUMBAI-400013

विषयः– छ.ग. सिविल सेवा असाधारण पेंशन नियम 1963 एवं असाधारण पेंशन नियम 1965 अंतर्गत जारी परिवार पेंशन के प्रकरणों में एन.पी.एस. खाते में जमा राशि का आहरण ।

महोदय/महोदया,

मैं यह सूचित करना चाहूंगा/चाहूंगी कि श्री/श्रीमती/कु. .... (शासकीय सेवक का नाम) का/की .... (शासकीय सेवक से संबंध) हूँ । मुझे छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग मंत्रालय रायपुर के परिपत्र कमांक 201/सी–25568/वित्त/नियम/चार/09 दिनांक 28.07.2009 (वित्त निर्देश 20/2009) एवं परिपत्र कमांक 389/एफ 2016–04–03289/वि/नि/चार दिनांक 05.09.2017 (वित्त निर्देश 40/2017) के तहत **परिवार पेंशन का भुगतान किया जावेगा।**

मैं श्री/श्रीमती/कु. .... के एन.पी.एस. खाते में जमा संपूर्ण राशि (अभिदाता एवं शासन अंशदान तथा उपार्जित लाभ) को वापस लेने और संचालक, संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन इंद्रावती भवन, नया रायपुर के बैंक खाते में जमा करने का अनुरोध करता/करती हूँ। संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन द्वारा PRAN में जमा संपूर्ण राशि (अभिदाता एवं शासन अंशदान तथा उपार्जित लाभ) शासन के प्राप्ति शीर्ष में जमा किया जावे ।

PRAN No. ....

*सी.आर.ए. सिस्टम में प्रविष्टि किये जाने हेतु निम्न अन्य सभी विवरण –

जन्म तिथि ....

PAO ....

DTO ....

DDO .... जिसके अंतर्गत अभिदाता है।

घोषणा

मैं ....श्री / श्रीमती / कु. ....
(शासकीय सेवक का नाम) का / की .... (शासकीय सेवक से संबंध) हूँ । घोषणा करता / करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे विवेक एवं विश्वास अनुसार सत्य है।

गवाह के हस्ताक्षर

नाम ....

पता ....

दिनांक ....

दावेदार के हस्ताक्षर

दावेदार का नाम ....

दिनांक ....

स्थान ....

भाग–बी आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण

यह प्रमाणित किया जाता हैं कि श्री/श्रीमती/कु... (दावेदार का नाम) श्री/श्रीमती/कु. ....(शासकीय सेवक का नाम) PRAN नंबर .... का/की ....(शासकीय सेवक से संबंध) है को छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग मंत्रालय रायपुर के परिपत्र कमांक 201/सी–25568/वित्त/नियम/चार/09 दिनांक 28.07.2009 (वित्त निर्देश 20/2009) एवं परिपत्र कमांक 389/एफ 2016–04–03289/वि/नि/चार दिनांक 05.09.2017 (वित्त निर्देश 40/2017) के तहत परिवार पेंशन का भुगतान किया जावेगा। यह कार्यालय संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन को अभिदाता के PRAN में जमा राशि को वापस लेने एवं संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, इंद्रावती भवन, नया रायपुर के बैंक खाते में जमा करने का अनुरोध करते हैं ।

अस्वीकरण:– हमे ज्ञात है कि उक्त अंशदान राशि एन.पी.एस. में निवेश किया गया था और NAV मूल्य परिवर्तन के आधार पर एन.पी.एस. में निवेश किए गए कुल अंशदान राशि से अधिक या कम हो सकता है। PRAN में जमा संपूर्ण राशि (अभिदाता एवं शासन अंशदान तथा उपार्जित लाभ) संचालक, संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन, इंद्रावती भवन, नया रायपुर के बैंक खाते में स्थानांतरित किया जावेगा । संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन द्वारा PRAN में जमा संपूर्ण राशि (अभिदाता एवं शासन अंशदान तथा उपार्जित लाभ) शासन के प्राप्ति शीर्ष में जमा किया जावे ।

(Signature of DDO)

DDO Name

DDO Registration No.

Date -

Place -